ग्राम पंचायत नेरी कोटली, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

भाग – एक

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: PCH-HC-(5)C(15)LAD/ 2006 -12669, दिनांक 07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नेरी कोटली, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक का अंकेक्षण, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोज़गार सेवक कार्यरत रहे।

प्रधान:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री राकेश कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री जगमेश कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्रीमती पूनम	01/04/2022 से 04/01/2023
2	श्रीमती लक्ष्मी देवी	05/01/2023 से 31/03/2024

ग्राम रोज़गार सेवक:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री अमित शर्मा	01/04/2022 से 19/02/2024
2	श्री सुनील कुमार	20/02/2024 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत के लेखाओं अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	रोकड़ बही व बैंक में भारी अंतर	4.2	2.20
2	अनुदान उपयोग हेतु शेष	6.1	8.14
3	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	7.1	0.63
4	पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना अनियमित भुगतान	8.1	7.43
5	संविदाकर के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी०एस०टी टी०डी०एस की कटौती न करना	8.2	0.06
6	संविदाकर के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर टी०डी०एस की कटौती न करना	8.3	0.03
7	निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाएं, आदि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	9.1	11.17
8	रॉयल्टी से संबंधित फॉर्म 'X' या 'Y' प्रस्तुत किए बिना निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर ठेकेदारों को भुगतान	9.3	5.70
9	आपूर्तिकर्ता के बिलों से वाईडस् (Voids) की कटौती न करना	9.4	0.19

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई के अवलोकन उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न तालिका में वर्णित है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/13 से 03/16:-

क्रम	पैरा संख्या	नवीनतम स्तिथि	विवरण
1	4 (क से घ)	अनिर्णीत	
2	5 (क से ख)	अनिर्णीत	
3	6	निर्णित	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15/02/2012 में जारी दिशा निर्देशों अनुसार।
4	7	अनिर्णीत	
5	8	अनिर्णीत	
6	9 (क से ख)	अनिर्णीत	
7	10	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
8	11	अनिर्णीत	
9	12	अनिर्णीत	
10	13	निर्णित	ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन रोकड़ बही के संधारण उपरांत।
11	14	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
12	15	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
13	16	अनिर्णीत	
14	17	अनिर्णीत	
15	18	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/17 से 03/19:-

क्रम	पैरा संख्या	नवीनतम स्तिथि	विवरण
1	**3**	निर्णित	अंकेक्षण शुल्क ₹5000 की प्राप्ति की पुष्टि मांग एवं संग्रहण रजिस्टर के पृष्ठ-7 पर करने के उपरान्त
2	4	अनिर्णीत	
3	5	निर्णित	ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन रोकड़ बही के संधारण उपरांत।

4	6	निर्णित	ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन रोकड़ बही के संधारण उपरांत।
5	7	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
6	8	अनिर्णीत	
7	9	निर्णित	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15/02/2012 में जारी दिशा निर्देशों अनुसार।
8	10	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
9	11	अनिर्णीत	
10	12	अनिर्णीत	
11	13	निर्णित	अपेक्षित नियमानुसार करवाई उपरांत।
12	14	निर्णित	अपेक्षित नियमानुसार करवाई उपरांत।
13	15	निर्णित	अपेक्षित नियमानुसार करवाई उपरांत।
14	16	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
15	17	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत नेरी कोटली, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री तरूण सैनी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15/02/2025 से 21/02/2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में निष्पादित किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वतः स्त्रोतों से आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वर्ष	आय	व्यय
2022-23	10/22	05/22
2023-24	05/23	02/24

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना के गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा।"

3 अंकेक्षण शुल्क -:

ग्राम पंचायत नेरी कोटली, विकास खण्ड राजगढ़, जिला-सिरमौर के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क (14 वां वित्त आयोग तथा 15 वां वित्त आयोग योजनाओं के ऑनलाइन अंकेक्षण शुल्क सहित) **₹4800** आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 185 दिनांक 21-02-2025 द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, कसुम्पटी शिमला-171009 को यथाशीघ्र प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

4.1 सचिव, ग्राम पंचायत नेरी कोटली द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक की समेकित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-1 व 2** पर भी दिया गया है:-

वर्ष	योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
2022-23	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)	328472.85	360308	21527	710307.85	259056.5	451251.35
	अन्य अनुदान	669644	5016379	2082	5688105	4886393	801712
	कुल	**998116.85**	**5376687**	**23609**	**6398412.85**	**5145449.5**	**1252963.35**
2023-24	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)	451251.35	17980	26729	495960.35	343104.8	152855.55
	अन्य अनुदान	801712.00	3887083.00	0.00	4688795.00	3874978.00	813817.00
	कुल	**1252963.35**	**3905063**	**26729**	**5184755.35**	**4218082.8**	**966672.55**

वर्ष	योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
2022-23	14वां वित्त आयोग (14th FC)	824255.4	0	21403	**845658.4**	572010.5	**273647.9**
	15वां वित्त आयोग (15th FC)	1281704	1108773	31136	**2421613**	600144	**1821469**
	कुल	**2105959.4**	**1108773**	**52539**	**3267271.4**	**1172154.5**	**2095116.9**
2023-24	14वां वित्त आयोग (14th FC)	273647.9	0	10447	**284094.9**	277828.5	**6266.4**
	15वां वित्त आयोग (15th FC)	1821469	180210.5	62043	**2063722.5**	586695.5	**1477027**
	कुल	**2095116.9**	**180210.5**	**72490**	**2347817.4**	**864524**	**1483293.4**

नोट:- 14वें व 15वें वित्तायोग के अवधि 04/2023 से 04/2024 का अंकेक्षण ऑडिट आनलाईन पोर्टल (auditonline.gov.in) के माध्यम से किया जा चुका है एवं इस से सम्बन्धित अंकेक्षण आपत्तियाँ भी पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी हैं।

विवरण	राशि (₹)
दिनांक 31.03.2024 को सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत तथा अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही अनुसार अंतशेष **(परिशिष्ट-3)**	966672.55
दिनांक 31/03/2024 को सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत तथा अन्य अनुदान के बैंक खातों अनुसार अन्तशेष **(परिशिष्ट-3)**	748741.25
दिनांक 31.03.2024 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर (₹966672.55-₹748741.25) **(परिशिष्ट-3)**	**217931.3**

4.2 ₹2.20 लाख की बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एंव 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी को तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31/03/2024 को ग्राम पंचायत में **परिशिष्ट-3** अनुसार रोकड़ बही व बैंक शेषों में निम्न विवरणानुसार **₹219737.3** के कुल अन्तर की बैंक समाधान विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की गई जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किसी भी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकताः-

क्रम	योजना का नाम	अंतर की राशि (₹)
1	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)/ 5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)/ सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)/ स्वच्छ भारत मिशन (SBM) विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)/ आपदा राहत कोष (CRF)	76428.3
2	राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	903
3	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	137796
4	3 राज्य वित्त आयोग (3SFC)	3750
5	13वां वित्त आयोग (13th FC)	860
	कुल	**219737.3**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 184 दिनांक 21-02-2025 का कोई प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्राप्त नही हुआ। अतः उक्त भारी अन्तर की राशि की बैंक समाधान विवरणियाँ शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए । इसके अतिरिक्त यह गम्भीर मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है।

4.3 बंद योजनाओं में ₹1.42 लाख की शेष राशि का समाधान न करनाः- .

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न योजनाओ से सम्बन्धित रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31/03/2024 को **₹142406 (परिशिष्ट-3)** की शेष राशि दर्शाई गई थी जबकि यह योजना आधिकारिक रूप से बन्द हो चुकी थी, परिणामस्वरूप यह सुनिश्चित न हो सका कि पंचायत द्वारा इस योजना की राशि का उचित समाधान किया गया है अथवा नहीं।

क्रम	**योजना**	**दिनांक 31/03/2024 को रोकड़ बही अनुसार अंतशेष (₹)**
1	3 राज्य वित्त आयोग (3SFC)	3750
2	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	137796
3	13वां वित्त आयोग (13th FC)	860
	कुल	**142406**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 184 दिनांक 21-02-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त योजनाओं में पड़ी शेष राशियों का बैंक खातों से मिलान करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उचित समाधान सुनिश्चित किया जाए व अपेक्षित अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 स्व: स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र बैंक खाते का संचालन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र बैंक खाता "क"(स्व: स्त्रोतों के लेन-देन हेतु)खोला जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है | अत: बैंक खाता "क" का स्वतंत्र संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 184 दिनांक 21-02-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः नियमानुसार स्वः स्रोत के आय-व्यय

हेतु स्वतन्त्र बैंक खाता 'क' खोला जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 सावधि जमा में निवेश न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार स्वः स्त्रोत निधि में अतिरिक्त राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाना अपेक्षित है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी। अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग- अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अपेक्षित कारवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹8.14 लाख उपयोग हेतु शेष

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-2** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.03.2024 को **₹813817** की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न तालिका में भी दिया गया है। इस राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार फडिंग ऐजेन्सी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित हैः-

क्रम	योजना	दिनांक 31/03/2024 को रोकड़ बही अनुसार अंत शेष (₹)
1	5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	8162
2	सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	108154
3	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	366927
4	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	158502
5	3 राज्य वित्त आयोग (3SFC)	3750
6	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	137796

7	आपदा राहत कोष (CRF)	15000
8	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)	10000
9	राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	4666
10	13वां वित्त आयोग (13th FC)	860
	कुल	**813817**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 184 दिनांक 21-02-2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित है। अतः जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्त हो चुकी है उनके सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अवधि बढ़ौतरी की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 प्राप्त सहायता अनुदान ₹36.79 लाख के स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट- 1 व 2** अनुसार उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक निम्न विवरणानुसार **₹3678761** की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई थी परन्तु इन अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित है:-

क्रम	योजना	वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त राशि (₹)	वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त राशि (₹)	कुल (₹)
1	15वां वित्त आयोग (15th FC)	1108773	-	**1108773**
2	5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	297669	443989	**741658**
3	सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	200000	0	**200000**
4	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	880320	634000	**1514320**
5	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	0	114010	**114010**
	कुल	**2486762**	**1191999**	**3678761**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 184 दिनांक 21-02-2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को यह अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जोकि अनियमित है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

6.3 अनुदान से ₹36.00 लाख के व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक **परिशिष्ट-1 व 2** व निम्न विवरण अनुसार **₹3600051.5** की अनुदान राशि का व्यय किया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित किये जाने सम्बन्धित भी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि उक्त नियम 2002 के नियम 88 की अवहेलना है:-

क्रम	योजना	वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय राशि (₹)	वर्ष 2023-24 के दौरान व्यय राशि (₹)	कुल (₹)
1	14वां वित्त आयोग (14th FC)	572010.5	-	**572010.5**
2	15वां वित्त आयोग (15th FC)	600144	-	**600144**
3	5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	266250	467246	**733496**
4	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)	37327	0	**37327**
5	सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	38940	123140	**162080**
6	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	21000	114010	**135010**
7	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	884486	475498	**1359984**
	कुल	**2420157.5**	**1179894**	**3600051.5**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 184 दिनांक 21-02-2025 जारी करके आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित व

आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7 पंचायत राजस्व/स्वः स्त्रोत

7.1 गृहकर राजस्व ₹0.63 लाख वसूली हेतु शेषः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को कोई भी देय राशि पर्याप्त कारणों के बिना बकाया नहीं रखी जा सकती। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों व **परिशिष्ट-4** के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31-03-2024 तक पंचायत की गृहकर राजस्व राशि **₹62500** वसूली हेतु शेष थी। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 184 दिनांक 21-02-2025 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए राशि की वसूली शीघ्र सुनिष्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण फीस से प्राप्त ₹0.03 लाख को रोकड़ बही में लेखांकित न करना

हि०प्र० पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए प्रारूप-14 पर, सचिव रोकड बही बनाएगा और आय-व्यय का प्रत्येक संव्यवहार प्रधान द्वारा अधिप्रमाणित करवाया जाएगा। ग्राम पंचायत के अंकेक्षण के दौरान आय से सम्बन्धित अभिलेखों की पडताल के दौरान विवाह पंजिकरण रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-5** अनुसार विवाह पंजीकरण फीस **₹2600** की प्राप्त राशि का रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 184 दिनांक 21-02-2025 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित है। अतः इस राशि का रोकड बही में लेखांकन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.3 भू-राजस्व के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत को राजस्व की अनुवर्ती हानिः-

प्रधान सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या रेव-डी-एफ (II)-11/2010 दिनांक 29.11.2011 के माध्यम से भू-राजस्व की मांग, संग्रहण और अभिलेख संधारण

की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। इसके अनुसार, पटवारी को अपने क्षेत्र की सभी राजस्व संपत्तियों की ढाल बछ (राजस्व आकलन सूची) तैयार कर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव/सहायक को सौंपना होता है। इसके बाद, ग्राम पंचायत सचिव/सहायक को लम्बरदार या किसी उपयुक्त एजेंसी के माध्यम से भू-राजस्व की वसूली सुनिश्चित करनी होती है। इसके अलावा, उन्हें वार्षिक मांग, संग्रहण, बकाया राशि और अग्रिम भुगतान से संबंधित अभिलेख संधारित करने होते हैं, जो लेखा परीक्षा के अंतर्गत आते हैं।अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पटवार वृत्त द्वारा तैयार की गई ढाल बछ सूची ग्राम पंचायत को प्रदान नहीं की गई, जिसके कारण भू-राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि अधिसूचना में उल्लिखित भू-राजस्व मांग, संग्रहण और अभिलेख संधारण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था, जो नियमों का उल्लंघन है। इस कारण यह निर्धारित करना संभव नहीं हो सका कि पंचायत को कितना भू-राजस्व प्राप्त होना था और कितना बकाया रह गया, जिसकी वसूली भविष्य में लम्बरदार या अन्य एजेंसी के माध्यम से की जा सकती थी। इस लापरवाही के कारण पंचायत को आर्थिक नुकसान हुआ, और आवश्यक अभिलेख भी तैयार नहीं किए गए, जिससे उनकी लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 184 दिनांक 21-02-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है। अतः उपरोक्त राजस्व राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में राशि की वसूली शीघ्र सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 व्यय

8.1 पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना ₹7.43 लाख का अनियमित भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49 के अनुसार किसी भी प्रकार का भुगतान पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना नहीं किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी क्योंकि **परिशिष्ट-6 (क्रम 2 से 10 व 12 से 24)** पर वर्णित विवरण अनुसार **₹742827.85** के व्यय वाउचर पर प्रधान व सचिव द्वारा पारित आदेश (पे आर्डर) अंकित नही किए गए थे जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 184 दिनांक 21-02-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी

कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः पंचायत अपने स्तर पर छानबीन उपरान्त उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट करे तथा उचित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करे।

8.2 संविदाकार के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर ₹0.06 लाख जी०एस०टी टी०डी०एस की कटौती न करना

जी०एस०टी अधिनियम, 2017 की धारा 51 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/ फर्म/ संस्था/ स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Government deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति (Contractor) फर्म को सेवाएं एंव वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वितीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% की दर से जी०एस०टी टी०डी०एस की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदकार को नगद अथवा बैक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है, जोकि नहीं की थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न सेवाओं व वस्तु हेतु सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदकार से अपेक्षित जी०एस०टी टी०डी०एस कटौती राशि **₹6105** का विवरण **परिशिष्ट-7** पर दर्ज है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 184 दिनांक 21-02-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः जी०एस०टी टी०डी०एस कटौती/वसूली न करने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.3 संविदाकार के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर ₹0.03 लाख आयकर की कटौती न करना

आयकर अधिनियम की धारा '194 सी' के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Government deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति (Contractor) फर्म को सेवाएं प्रदान करने के बदले एक बार/एकमुश्त ₹30000 से अधिक व एक वितीय वर्ष में ₹100000 से अधिक राशि के भुगतान पर न व्यक्ति व एचयूएफ (Person/HUF) से 1% की दर से तथा अन्य (Other than Person or HUF) से 2% की दर से आयकर की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदकार को नगद अथवा बैक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है, जोकि नहीं की गई प्रतीत होती है। ग्राम पंचायत द्वारा

विभिन्न सेवाओं हेतु सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदकार से अपेक्षित टी०डी०एस कटौती राशि **₹3000** का विवरण निम्न तालिका में दर्ज है।

क्रम	योजना	वाउचर संख्या	वाउचर / भुगतान तिथि	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशि (₹)	टी० डी० एस कटौती दर	अपेक्षित कटौती (₹)
1	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/1	18-05-22	नि० लिंक मार्ग सगोहत	12	03-04-22	मैं० आदि कंस्ट्रक्शन	जे०सी०बी कार्य- 12 घंटे	50000	2%	1000
2	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/2	18-05-22	नि० लिंक मार्ग सगोहत	13	03-04-22	मैं० आदि कंस्ट्रक्शन	जे०सी०बी कार्य- 12 घंटे	50000	2%	1000
3	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/2022-23/P/7	19-05-22	नि० लिंक मार्ग सगोहत	44	10-05-22	मैं० आदि कंस्ट्रक्शन	जे०सी०बी कार्य- 12 घंटे	50000	2%	1000
								कुल			**3000**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 184 दिनांक 21-02-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है। अतः आयकर टी०डी०एस कटौती/वसूली न करने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 निर्माण कार्यः-

9.1 ₹11.17 लाख के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार होगा। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-8** पर दर्ज निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु **₹1117462** के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप इन भुगतानों की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं हो सकी। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 184 दिनांक

21-02-2025 जारी करके सचिव ग्राम पंचायत को बार-बार अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया जिसे अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित है। अतः अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों को प्रस्तुत न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इन्हें शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 ₹8.41 लाख के निर्माण कार्यों में भुगतान कार्य समिति/निगरानी समिति की सत्यापना बिना करना -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 23 के अन्तर्गत कार्य समिति/निगरानी समिति का गठन अनिवार्य है जिसकी निगरानी में पंचायत के समस्त विकास कार्य निष्पादित किए जाने अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया की **परिशिष्ट-6** पर दर्ज विवरण अनुसार निर्माण कार्यों में **₹841242.9** का भुगतान कार्य समिति/निगरानी समिति/मेट की सत्यापना बिना ही किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 184 दिनांक 21-02-2025 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः भविष्य में निर्माण कार्यों हेतु भुगतान कार्य समिति/निगरानी समिति/मेट की सत्यापना उपरांत ही किये जाने सुनिश्चित किये जायें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 फॉर्म 'X' या 'Y' प्रस्तुत किए बिना निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर ठेकेदारों को ₹5.70 लाख का भुगतान

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन.-(आर.डी. एवं पी.आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 2.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर कुल सामग्री की मात्रा से सम्बंधित ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **परिशिष्ट-9** में दर्ज विवरण अनुसार **₹570254** का अनियमित भुगतान किया गया। इस से यह

प्रतीत होता है कि या तो निर्माण सामग्री की पूरी मात्रा में आपूर्ति नहीं की गई थी या भुगतान प्राप्त मात्रा से अधिक के लिए किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 184 दिनांक 21-02-2025 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः उक्त भुगतान को पूर्ण अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.4 आपूर्तिकर्ता के बिलों से 0.19 लाख के वाईडस् (Voids) की कटौती न करनाः-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गई सामग्री पर निर्धारित दर से वाइड्स (Voids) की कटौती नहीं की गई जबकि हि०प्र० पब्लिक वर्कस स्पेसिफिकेशन 2.1.2.13 के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम0एम0 से लेकर 20 एम0एम0 तक 5% व 25 एम0एम0 से लेकर 40 एम0एम0 तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम0एम0 से लेकर 75 एम0एम0 तक 12.5% की दर से वाइड्स (Voids) की कटौती की जानी अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा क्रय सामग्री पर इस प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की गई थी, जिस कारण आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/फर्म/संविदाकार को **परिशिष्ट-10** में दर्ज विवरण अनुसार **₹18566** अधिक भुगतान किया गया है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 184 दिनांक 21-02-2025 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः वॉइड (Voids) की कटौती न करने को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 अभिलेख का अनुरक्षण न करना

10.1 ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत न करनाः-

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पत्तियों को दर्शाया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में पंचायत द्वारा अर्जित/निर्मित सम्पत्तियों के ईन्द्राज से सम्बन्धित विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 184 दिनांक 21-02-2025 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त पोर्टल पर में पंचायत की चल-अचल सम्पति का ईन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.2 विहित रजिस्टर/अभिलेख को प्रस्तुत न करनाः-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 184 दिनांक 21-02-2025 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002			
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	5	15(1)
3	वर्गीकृत सार	8	29(4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	बजट प्राक्कलन	11	37
6	बिल रजिस्टर	13	48
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	खाता बही	29	7
9	तकनीकी जाँच व तकनीकी स्वीकृति ऐस्टीमेट रजिस्टर	31	95 (1)
10	दुकान किराया व गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर	33	10
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल सम्पत्ति रजिस्टर	11	34

11 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

हि०प्र० पंचायल राज (वित्त बजट लेखें, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन भी किया जाना अपेक्षित था, परन्तु सचिव ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया की ग्राम पंचायत में स्थाई स्टॉक का भौतिक सत्यापन समय पर नहीं करवाया गया है जोकि उक्त नियम की अवहेलना है। अतः रजिस्टर प्रस्तुत न करने तथा उक्त नियम की अनुपालना न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **लघु आपति विवरणिकाः**-लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया है।

13 **निष्कर्ष:**- ग्राम पंचायत के लेखों के रख-रखाव में उक्त अनुच्छेदों/पैरों मे वर्णित आपत्तियों के अनुसार सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

01 MAY 2025

2532-2536 का0/प्रति0

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(10) 6/2017 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत नेरी कोटली, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति0

परिशिष्ट - 1
पैरा संख्या 4.1, 6.2 व 6.3 में संदर्भित

ग्राम पंचायत नेरी कोटली, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2022-23 व 2023-24 की समेकित वित्तीय स्थिति

वर्ष	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंतशेष (₹)
2022-23	3104076.25	6485460	76148	**9665684.25**	6317604	**3348080.25**
2023-24	3348080.25	4085273.5	99219	**7532572.75**	5082606.8	**2449965.95**

ग्राम पंचायत नेरी कोटली, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2022-23 की योजनावार वित्तीय स्थिति

योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंतशेष (₹)
सम्मान निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	328472.85	360308	21527	**710307.85**	259056.5	**451251.35**
14वां वित्त आयोग (14th FC)	824255.4	0	21403	**845658.4**	572010.5	**273647.9**
15वां वित्त आयोग (15th FC)	1281704	1108773	31136	**2421613**	600144	**1821469**
5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	0	297669	0	**297669**	266250	**31419**
एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)	35245	0	2082	**37327**	37327	**0**
सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ेशन प्लान (SDP)	70234	200000	0	**270234**	38940	**231294**
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	387927	0	0	**387927**	21000	**366927**
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	4166	880320	0	**884486**	884486	**0**
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3 राज्य वित्त आयोग (3SFC)	3750	0	0	**3750**	0	**3750**
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	137796	0	0	**137796**	0	**137796**
आपदा राहत कोष (CRF)	15000	0	0	**15000**	0	**15000**
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)	10000	0	0	**10000**	0	**10000**
राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	4666	0	0	**4666**	0	**4666**
13वां वित्त आयोग (13th FC)	860	0	0	**860**	0	**860**
मनरेगा	0	3638390	0	**3638390**	3638390	**0**
कुल	**3104076.25**	**6485460**	**76148**	**9665684.25**	**6317604**	**3348080.25**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नेरी कोटली
वि० ख० राजगढ़, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

परिशिष्ट-2
पैरा संख्या 4.1, 6.2 व 6.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत नेरी कोटली, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2023-24 की योजनावार वित्तीय स्थिति

योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंतशेष (₹)
सम्मान निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	451251.35	17980	26729	**495960.35**	343104.8	**152855.55**
14वां वित्त आयोग (14th FC)	273647.9	0	10447	**284094.9**	277828.5	**6266.4**
15वां वित्त आयोग (15th FC)	1821469	180210.5	62043	**2063722.5**	586695.5	**1477027**
5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	31419	443989	0	**475408**	467246	**8162**
एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)	0	0	0	**0**	0	**0**
सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ेशन प्लान (SDP)	231294	0	0	**231294**	123140	**108154**
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	366927	114010	0	480937 [illegible]	114010	**366927**
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	0	634000	0	**634000**	475498	**158502**
[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3 राज्य वित्त आयोग (3SFC)	3750	0	0	**3750**	0	**3750**
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	137796	0	0	**137796**	0	**137796**
आपदा राहत कोष (CRF)	15000	0	0	**15000**	0	**15000**
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)	10000	0	0	**10000**	0	**10000**
राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	4666	0	0	**4666**	0	**4666**
13वां वित्त आयोग (13th FC)	860	0	0	**860**	0	**860**
मनरेगा	0	2695084	0	**2695084**	2695084	**0**
कुल	**3348080.25**	**4085273.5**	**99219**	**7532572.75**	**5082606.8**	**2449965.95**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नेरी कोटली
वि० ख० राजगढ़, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

21

परिशिष्ट - 3
पैरा संख्या 4.2 व 4.3 से संदर्भित

ग्राम पंचायत नेरी कोटली, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 31/03/2024 को रोकड बही व बैंक अनुसार अन्तर का विवरण

योजना	बैंक	खाता संख्या	रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31-03-2024 को अंतशेष (₹)	बैंक अनुसार दिनांक 31-03-2024 को अंतशेष (₹)	अंतर (₹)
सम्मान निधि/ स्व: स्रोत (OWN/ General)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, राजगढ़	56310100027	152855.55	743172.25	
5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)			8162		
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)			10000		
सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)			108154		
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)			366927		
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)			158502		
आपदा राहत कोष (CRF)			15000		
	कुल		**819600.55**	**743172.25**	**76428.3**
14वां वित्त आयोग (14th FC)	एच०डी०एफ०सी बैंक, राजगढ़	50100040009005	6266.4	6313	
	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, राजगढ़	56310122955		1187.7	
	कुल		**6266.4**	**7500.7**	**-1234.3**
15वां वित्त आयोग (15th FC)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, राजगढ़	56310124911	1477027	1425713.5	51313.5
एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)	बैंक ऑफ़ बरोडा, राजगढ़	34250100001194	0	0	0
राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, हाब्बन	55510102363	4666	5569	-903
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, राजगढ़	56310113807	137796	0	137796
3 राज्य वित्त आयोग (3SFC)	बैंक खाता संख्या ज्ञात नहीं		3750	0	3750
13वां वित्त आयोग (13th FC)	बैंक खाता संख्या ज्ञात नहीं		860	0	860
	महायोग		**2449965.95**	**2181955.45**	**268010.5**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नेरी कोटली
वि० ख० राजगढ़, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

22

परिशिष्ट-4
पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत नेरी कोटली, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

दिनांक 31/03/2024 को गृहकर वसूली सम्बन्धी सुचना:-

वर्ष 2022-23 के दौरान ग्राम पंचायत में परिवारों की संख्या- **352**

वर्ष 2022-23 के दौरान प्रति वर्ष गृहकर दर- **50 ₹/प्रति परिवार**

वर्ष 2023-24 के दौरान ग्राम पंचायत में परिवारों की संख्या- **363**

वर्ष 2023-24 के दौरान प्रति वर्ष गृहकर दर- **100 ₹/प्रति परिवार**

वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान मांग (₹)	कुल (₹)	प्राप्ति (₹)	अंत शेष (₹)
2022-23	8600	17600	**26200**	0	**26200**
2023-24	26200	36300	**62500**	0	**62500**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नेरी-कोटली
विकास खण्ड राजगढ़ जिला सिरमौर (हि.प्र.)

23

परिशिष्ट - 5
पैरा संख्या 7.2 में
संदर्भित

कार्यालय ग्राम पंचायत नेरी-कोटली

विकास खण्ड राजगढ़

पत्रालय शाया-चबरोंन, तहसील राजगढ़ ,जिला सिरमौर (हि०प्र०)173101

प्रमाण पत्र

अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 01/04/2023 के दौरान प्राप्त विवाह पंजीकरण का

शुल्क :-

वर्ष	पंजीकृत विवाह	प्राप्त राशी
2022-23	0	0
2023-24	13	2,600
	कुल	2,600

अत: प्रमाण पत्र आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

पंचायत सचिव
पंचायत सचिव नेरी-कोटली
ग्राम पंचायत नेरी-कोटली
विकास खण्ड राजगढ़

24

22

ग्राम पंचायत में व्यय हेतु चयनित मास में मस्टरोल पर किये गए भुगतान का विवरण

परिशिष्ट-6

"पैरा संख्या 8.1 व 9.2 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर संख्या	वाउचर / भुगतान तिथि	कार्य का नाम	मस्टर रोल संख्या	दिनांक	बिल राशी (₹)
1	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/2022-23/P/9	27-05-22	नि० पुल शाया	9076	03-05-22	45700
2	मनरेगा		06-05-22	गौशाला के पास मिनाक्षी पत्नी मुकेश कुमार गांव। सनोहट	595	06-05-22	17808
			06-05-22		595	06-05-22	8268
3	मनरेगा		05-05-22	नि० गौशाला कृष्णा पत्नी कृष्ण लाल	597	05-05-22	15900
			05-05-22		597	05-05-22	8056
			05-05-22		597	05-05-22	2756
4	मनरेगा		05-05-22	नि० गौशाला रंजना देवी पत्नी रणवीर सिंह ग्राम स्टाह	600	05-05-22	2540.4
			05-05-22		600	05-05-22	13337.1
			05-05-22		600	05-05-22	10585
			05-05-22		601	05-05-22	2540.4
5	मनरेगा		06-05-22	नि० गौशाला किरण पत्नी जय सिंह सनोठ	790	06-05-22	13780
			06-05-22		790	06-05-22	2756
			06-05-22		790	06-05-22	5512
			06-05-22		791	06-05-22	5512
			06-05-22		791	06-05-22	2756
6	मनरेगा		06-05-22	नि० पौधारोपण (बागवानी) धर्मपाल पुत्र शंकरू राम कोटली	840	06-05-22	12720
			06-05-22		840	06-05-22	7632
			06-05-22		840	06-05-22	5088
			06-05-22		841	06-05-22	2544
			06-05-22		841	06-05-22	2544
7	मनरेगा		04-05-22	नि० बागवानी कार्य सुलेखा पत्नी पवन ग्राम शाया	511	04-05-22	3164.25
			04-05-22		511	04-05-22	22149.75
			04-05-22		511	04-05-22	6328.5
			04-05-22		512	04-05-22	3164.25
			04-05-22		512	04-05-22	15821.25
8	मनरेगा		04-05-22	नि० पौधारोपण नरेश पुत्र भगत राम गांव। नेरी	537	04-05-22	22215.9
			04-05-22		537	04-05-22	9521.1
			04-05-22		538	04-05-22	19042.2
			04-05-22		538	04-05-22	3173.7
9	मनरेगा		06-05-22	नि० गौशाला इंद्रा पत्नी देश राज डरेना	606	06-05-22	19080
			06-05-22		606	06-05-22	6360
			06-05-22		606	06-05-22	3180
10	मनरेगा		04-05-22	नि० चेक डैम सनोहत खुड	609	04-05-22	9468.9

25

			04-05-22		609	04-05-22	6312.6
			04-05-22		609	04-05-22	12625.2
			04-05-22		610	04-05-22	3156.3
			04-05-22		610	04-05-22	15781.5
			04-05-22		610	04-05-22	3156.3
			06-05-22		5582	06-05-22	3045
11	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023 - 24/P/9	01-02-24	नि० सामुदायिक भवन नेरी			52715
12	मनरेगा		05-02-24	नि० सुरक्षा दीवार खेल मैदान, नेरी	5787	05-02-24	33600
			05-02-24		5788	05-02-24	16800
13	मनरेगा		05-02-24	नि० गोशाला राकेश पुत्र प्रेम दत्त	5789	05-02-24	18000
14	मनरेगा		05-02-24	नि० गोशाला अंजना पत्नी ललित शर्मा, शाया छाब्रों	5790	05-02-24	14400
15	मनरेगा		05-02-24	नि० गोशाला किरण पत्नी भूपाल, सताह	5805	05-02-24	20160
16	मनरेगा		05-02-24	नि० गोशाला किरण पत्नी संजीव कुमार, नेरी कोटली	5791	05-02-24	28800
17	मनरेगा		05-02-24	नि० सुरक्षा दीवार सुनील पुत्र सुंदर सिंह, थानोह	5792	05-02-24	10320
18	मनरेगा		05-02-24	नि० गोशाला संजय द्रेना	5793	05-02-24	32400
19	मनरेगा		05-02-24	नि० गोशाला प्रेम देवी पत्नी प्रेम दत्त	5794	05-02-24	18000
			22-02-24		6201	22-02-24	17570.42
20	मनरेगा		05-02-24	नि० गोशाला रेलू राम बाग	5796	05-02-24	21600
			22-02-24		6202	22-02-24	20160
21	मनरेगा		05-02-24	नि० सुरक्षा दीवार प्रेम दत्त, थानोह	5797	05-02-24	21600
22	मनरेगा		22-02-24	नि० बागवानी कार्य राजकुमार नेरी	6227	22-02-24	28588.3
			22-02-24		6228	22-02-24	20011.81
23	मनरेगा		05-02-24	नि० कच्ची नाली सड़क से धलाटी	5798	05-02-24	30960
			05-02-24		5799	05-02-24	16800
			22-02-24		6199	22-02-24	21356.44
			22-02-24		6200	22-02-24	4319.28
24	मनरेगा		05-02-24	नि० जोहड़ गडावन	5800	05-02-24	13500
			12-02-24		5800	12-02-24	4500
				कुल			**841242.9**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- ग्रा० पं० नेरी कोटली
फोन-9736161012

26

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयकर टी०डी०एस की अपेक्षित कटौती

परिशिष्ट-7

"पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर / भुगतान तिथि	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशी (₹)	टी०डी०एस कटौती दर	अपेक्षित कटौती (₹)
1	मनरेगा	30-05-22	नि० सुरक्षा दीवार मातल खड्ड, तेजवीर के घर के पास	82	24-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	रेत	36750	2%	735
		30-05-22		83	24-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	बजरी 20 मि०मी०	23850	2%	477
2	मनरेगा	30-05-22	नि० रास्ता सनोहत से कोटली	89	26-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	रेत	18375	2%	368
		30-05-22		90	26-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	बजरी 20 मि०मी०	15900	2%	318
3	मनरेगा	30-05-22	नि० पुलिया व नाली, लिंक मार्ग सनोहत	84	24-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	रेत	68600	2%	1372
		30-05-22		85	25-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	बजरी 10 मि०मी०	31800	2%	636
		30-05-22		86	25-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	स्टोन	52800	2%	1056
4	मनरेगा	30-05-22	नि० सुरक्षा दीवार लिंक मार्ग सनोहत	87	26-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	रेत	46550	2%	931
		30-05-22		88	26-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	बजरी 20 मि०मी०	10600	2%	212
			कुल							**6105**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- जि० प० कोटली
फोन-9736161012

27

निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाएं, आदि प्रस्तुत किये बिना किये गए भुगतान का विवरण

परिशिष्ट-8

"पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर संख्या	वाउचर / भुगतान तिथि	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशी (₹)
1	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/4	27-05-22	नि० कमरे पंचायत घर, नेरी कोटली	KHS-018	27-05-22	खेड़ा हार्डवेयर स्टोर	सरिया	121400
2	मनरेगा		30-05-22	नि० सुरक्षा दीवार मातल खड्ड, तेजवीर के घर के पास	82	24-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	रेत- 15 क्यु०मी	36750
			30-05-22		83	24-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	बजरी 20 मि०मी०- 2 क्यु०मी	5300
								बजरी 40 मि०मी०- 7 क्यु०मी	18550
			30-05-22		62312	06-12-21	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सीमेंट- 40 बैग	12552.8
3	मनरेगा		17-05-22	नि० पक्की गली टाइल सहित छाब्रों	361	07-03-22	जय गुरु बाबा हार्डवेयर स्टोर	इटरलॉक टाइल्स- 5500	110000
			17-05-22		406	06-03-22	मैं० जे०जी०बी जे०सी०बी वर्क्स व अलाइड सर्विसेज	रेत- 7 क्यु०मी	18200
			17-05-22		407	06-03-22	मैं० जे०जी०बी जे०सी०बी वर्क्स व अलाइड सर्विसेज	बजरी 20 मि०मी०- 2 क्यु०मी	5500
								बजरी 40 मि०मी०- 3.5 क्यु०मी	9625
4	मनरेगा		30-05-22	नि० रास्ता सनोहत से कोटली	89	26-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	रेत- 7.5 क्यु०मी	18375
			17-05-22		1639	19-11-21	मैं० शिव हार्डवेयर स्टोर	वाइट सीमेंट	13875
			17-05-22		1640	19-11-21	मैं० शिव हार्डवेयर स्टोर	टेरा कोटा- 15	7881.4
			30-05-22		275	22-03-22	जय गुरु बाबा हार्डवेयर स्टोर	चक्का टाइल- 250	12500
			30-05-22		367	10-11-21	जय गुरु बाबा हार्डवेयर स्टोर	चक्का टाइल- 3000	75000
			30-05-22		428	21-03-22	मैं० जे०जी०बी जे०सी०बी वर्क्स व अलाइड सर्विसेज	रेत- 3.5 क्यु०मी	9100
			30-05-22		429	21-03-22	मैं० जे०जी०बी जे०सी०बी वर्क्स व अलाइड सर्विसेज	बजरी 20 मी०मी- 3 क्यु०मी	8280
			30-05-22		90	26-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	बजरी 20 मि०मी०- 2 क्यु०मी	5300

28

								बजरी 40 मि०मी०- 4 क्यु०मी	10600
5	मनरेगा		30-05-22	नि० पुलिया व नाली, लिंक मार्ग सनोहत	84	24-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	रेत- 28 क्यु०मी	68600
			30-05-22		85	25-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	बजरी 10 मि०मी०- 8.5 क्यु०मी	22525
								बजरी 20 मि०मी०- 2.5 क्यु०मी	6625
								बजरी 40 मि०मी०- 1 क्यु०मी	2650
			30-05-22		86	25-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	पत्थर- 44 क्यु०मी	52800
			30-05-22		131	03-03-22	मैं० जे०जी०बी जे०सी०बी वर्क्स व अलाइड सर्विसेज	रेत-	5590
			30-05-22		132	03-03-22	मैं० जे०जी०बी जे०सी०बी वर्क्स व अलाइड सर्विसेज	बजरी 10 मि०मी०- 1.5 क्यु०मी	3975
								बजरी 20 मि०मी०- 4.25 क्यु०मी	11265
								बजरी 40 मि०मी०- 1 क्यु०मी	3390
			30-05-22		136	22-03-22	मैं० जे०जी०बी जे०सी०बी वर्क्स व अलाइड सर्विसेज	आर०सी०सी पाइप- 6	5580
			17-05-22		58643	28-03-22	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सीमेंट- 12 बैग	3816
6	मनरेगा		30-05-22	नि० सुरक्षा दीवार लिंक मार्ग सनोहत	87	26-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	रेत- 19 क्यु०मी	46550
			30-05-22		88	26-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	बजरी 20 मि०मी०- 1 क्यु०मी	2650
								बजरी 40 मि०मी०- 3 क्यु०मी	7950
			30-05-22		426	20-03-22	मैं० जे०जी०बी जे०सी०बी वर्क्स व अलाइड सर्विसेज	रेत- 7 क्यु०मी	18200
			30-05-22		427	20-03-22	मैं० जे०जी०बी जे०सी०बी वर्क्स व अलाइड सर्विसेज	बजरी 40 मि०मी०- 3.5 क्यु०मी	9660
			17-05-22		58644	28-03-22	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सीमेंट- 37 बैग	11766
7	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/10	01-02-24	नि० सुरक्षा दीवार, नरेश पुत्र शंकर के घर के सामने	12	25-10-23	शिवान्या एंटरप्राइज	रेत- 4.5 क्यु०मी व बजरी 40	31620

29

								मी०मी- 2.5 क्यु०मी	
8	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/11	01-02-24	नि० सुरक्षा दीवार, नरेश पुत्र शंकर के घर के सामने	CS052-22-0529558	18-03-24	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सीमेंट- 28 बैग	19000
9	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2023-24/P/17	21-02-24	नि० सामुदायिक शौचालय नेरी खेल मैदान के समीप	KHS-23-24-/2526	21-02-24	ख़ेड़ा हार्डवेयर स्टोर	सरिया- 463 कि०ग्रा०	28000
10	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2023-24/P/18	22-02-24	नि० सामुदायिक शौचालय नेरी खेल मैदान के समीप	9096	22-02-24	मस्टररोल भुगतान		35806
11	मनरेगा		29-02-24	नि० सिंचाई टैंक शम्मा दत्त पुत्र चेत राम	555	21-9-23	मैं० जे०जी०बी जे०सी०बी वर्क्स व अलाइड सर्विसेज	रेत- 6.9 क्यु०मी	19600
			29-02-24		81112	9-10-23	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सीमेंट- 40 बैग	15092
12	मनरेगा		29-02-24	निर्माण फुट ब्रिज कोटली खड्ड	14	25-10-23	शिवान्या एंटरप्राइज	बजरी 10 मि०मी०- 2.89 क्यु०मी	7425.9
			29-02-24		15	25-10-23	शिवान्या एंटरप्राइज	बजरी 20 मि०मी०- 7.26 क्यु०मी	18885.88
			29-02-24		16	25-10-23	शिवान्या एंटरप्राइज	बजरी 40 मि०मी०- 3.16 क्यु०मी	8372.45
			29-02-24		17	25-10-23	शिवान्या एंटरप्राइज	रेत- 29.55 क्यु०मी	76339.84
			29-02-24		81131	17-11-23	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सीमेंट- 200 बैग	74938.75
							कुल		**1117462**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- ग्रा० पं० नेरी कोटली
फोन-9736161012

30

निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर ठेकेदारों को भुगतान का विवरण

परिशिष्ट-9

"पैरा संख्या 9.3 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर संख्या	वाउचर / भुगतान तिथि	कार्य का नाम	बिल संख्या/ मस्टर रोल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशी (₹)
1	मनरेगा		30-05-22	नि० सुरक्षा दीवार मातल खड्ड, तेजवीर के घर के पास	82	24-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	रेत- 15 क्यु०मी	36750
			30-05-22		83	24-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	बजरी 20 मि०मी०- 2 क्यु०मी	5300
								बजरी 40 मि०मी०- 7 क्यु०मी	18550
2	मनरेगा		17-05-22	नि० पक्की गली टाइल सहित छात्रों	406	06-03-22	मैं० जे०जी०बी जे०सी०बी वर्क्स व अलाइड सर्विसेज	रेत- 7 क्यु०मी	18200
			17-05-22		407	06-03-22	मैं० जे०जी०बी जे०सी०बी वर्क्स व अलाइड सर्विसेज	बजरी 20 मि०मी०- 2 क्यु०मी	5500
								बजरी 40 मि०मी०- 3.5 क्यु०मी	9625
3	मनरेगा		30-05-22	नि० रास्ता सनोहत से कोटली	89	26-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	रेत- 7.5 क्यु०मी	18375
			30-05-22		428	21-03-22	मैं० जे०जी०बी जे०सी०बी वर्क्स व अलाइड सर्विसेज	रेत- 3.5 क्यु०मी	9100
			30-05-22		429	21-03-22	मैं० जे०जी०बी जे०सी०बी वर्क्स व अलाइड सर्विसेज	बजरी 20 मी०मी- 3 क्यु०मी	8280
			30-05-22		90	26-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	बजरी 20 मि०मी०- 2 क्यु०मी	5300
								बजरी 40 मि०मी०- 4 क्यु०मी	10600
4	मनरेगा		30-05-22	नि० पुलिया व नाली, लिंक मार्ग सनोहत	84	24-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	रेत- 28 क्यु०मी	68600

31

			30-05-22		85	25-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	बजरी 10 मि०मी०- 8.5 क्यु०मी	22525
								बजरी 20 मि०मी०- 2.5 क्यु०मी	6625
								बजरी 40 मि०मी०- 1 क्यु०मी	2650
			30-05-22		86	25-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	पत्थर- 44 क्यु०मी	52800
			30-05-22		131	03-03-22	मैं० जे०जी०बी जे०सी०बी वर्क्स व अलाइड सर्विसेज	रेत-	5590
			30-05-22		132	03-03-22	मैं० जे०जी०बी जे०सी०बी वर्क्स व अलाइड सर्विसेज	बजरी 10 मि०मी०- 1.5 क्यु०मी	3975
								बजरी 20 मि०मी०- 4.25 क्यु०मी	11265
								बजरी 40 मि०मी०- 1 क्यु०मी	3390
5	मनरेगा		30-05-22	नि० सुरक्षा दीवार लिंक मार्ग सनोहत	87	26-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	रेत- 19 क्यु०मी	46550
			30-05-22		88	26-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	बजरी 20 मि०मी०- 1 क्यु०मी	2650
								बजरी 40 मि०मी०- 3 क्यु०मी	7950
			30-05-22		426	20-03-22	मैं० जे०जी०बी जे०सी०बी वर्क्स व अलाइड सर्विसेज	रेत- 7 क्यु०मी	18200
			30-05-22		427	20-03-22	मैं० जे०जी०बी जे०सी०बी वर्क्स व अलाइड सर्विसेज	बजरी 40 मि०मी०- 3.5 क्यु०मी	9660
6	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	VKVNY/2023-24/P/10	01-02-24	नि० सुरक्षा दीवार, नरेश पुत्र शंकर के घर के सामने	12	25-10-23	शिवान्या एंटरप्राइज	रेत- 4.5 क्यु०मी व बजरी 40 मी०मी- 2.5 क्यु०मी	31620
7	मनरेगा		29-02-24	नि० सिंचाई टैंक शम्मा दत्त पुत्र चेत राम	555	21-9-23	मैं० जे०जी०बी जे०सी०बी वर्क्स व अलाइड सर्विसेज	रेत- 6.9 क्यु०मी	19600

32

8	मनरेगा		29-02-24	निर्माण फुट ब्रिज कोटली खड्ड	14	25-10-23	शिवान्या एंटरप्राइज	बजरी 10 मि०मी०- 2.89 क्यु०मी	7425.9
			29-02-24		15	25-10-23	शिवान्या एंटरप्राइज	बजरी 20 मि०मी०- 7.26 क्यु०मी	18885.88
			29-02-24		16	25-10-23	शिवान्या एंटरप्राइज	बजरी 40 मि०मी०- 3.16 क्यु०मी	8372.45
			29-02-24		17	25-10-23	शिवान्या एंटरप्राइज	रेत- 29.55 क्यु०मी	76339.84
				कुल					**570254**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- ग्रा० पं० नेरी कोटली
फोन-9736161012

33

वाइड्स (Voids) की अपेक्षित कटौती का विवरण **परिशिष्ट-10**

"पैरा संख्या 9.4 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर / भुगतान तिथि	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशी (₹)	अपेक्षित कटौती	कटौती राशी (₹)
1	मनरेगा	30-05-22	नि० सुरक्षा दीवार मातल खड्ड, तेजवीर के घर के पास	83	24-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	बजरी 20 मि०मी०- 2 क्यु०मी	5300	5.00%	265
							बजरी 40 मि०मी०- 7 क्यु०मी	18550	10.00%	1855
2	मनरेगा	17-05-22	नि० पक्की गली टाइल सहित छाब्रों	407	06-03-22	मैं० जे०जी०बी जे०सी०बी वर्क्स व अलाइड सर्विसेज	बजरी 20 मि०मी०- 2 क्यु०मी	5500	5.00%	275
							बजरी 40 मि०मी०- 3.5 क्यु०मी	9625	10.00%	963
3	मनरेगा	30-05-22	नि० रास्ता सनोहत से कोटली	429	21-03-22	मैं० जे०जी०बी जे०सी०बी वर्क्स व अलाइड सर्विसेज	बजरी 20 मी०मी- 3 क्यु०मी	8280	5.00%	414
				90	26-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	बजरी 20 मि०मी०- 2 क्यु०मी	5300	5.00%	265
							बजरी 40 मि०मी०- 4 क्यु०मी	10600	10.00%	1060
4	मनरेगा	30-05-22	नि० पुलिया व नाली, लिंक मार्ग सनोहत	85	25-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	बजरी 10 मि०मी०- 8.5 क्यु०मी	22525	5.00%	1126
							बजरी 20 मि०मी०- 2.5 क्यु०मी	6625	5.00%	331
							बजरी 40 मि०मी०- 1 क्यु०मी	2650	10.00%	265
		30-05-22		86	25-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	पत्थर- 44 क्यु०मी	52800	12.50%	6600
		30-05-22		132	03-03-22	मैं० जे०जी०बी जे०सी०बी वर्क्स व अलाइड सर्विसेज	बजरी 10 मि०मी०- 1.5 क्यु०मी	3975	5.00%	199
							बजरी 20 मि०मी०- 4.25 क्यु०मी	11265	5.00%	563

34

							बजरी 40 मि०मी०- 1 क्यु०मी	3390	10.00%	339
5	मनरेगा	30-05-22	नि० सुरक्षा दीवार लिंक मार्ग सनोहत	88	26-11-21	राणा ट्रांसपोर्ट	बजरी 20 मि०मी०- 1 क्यु०मी	2650	5.00%	133
							बजरी 40 मि०मी०- 3 क्यु०मी	7950	10.00%	795
		30-05-22		427	20-03-22	मैं० जे०जी०बी जे०सी०बी वर्क्स व अलाइड सर्विसेज	बजरी 40 मि०मी०- 3.5 क्यु०मी	9660	10.00%	966
8	मनरेगा	29-02-24	निर्माण फुट ब्रिज कोटली खड्ड	14	25-10-23	शिवान्या एंटरप्राइज	बजरी 10 मि०मी०- 2.89 क्यु०मी	7425.9	5.00%	371
		29-02-24		15	25-10-23	शिवान्या एंटरप्राइज	बजरी 20 मि०मी०- 7.26 क्यु०मी	18885.88	5.00%	944
		29-02-24		16	25-10-23	शिवान्या एंटरप्राइज	बजरी 40 मि०मी०- 3.16 क्यु०मी	8372.45	10.00%	837
			कुल							**18566**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- ग्रा० पं० नेरी कोटली
फोन-9736161012